"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल 2023 — वैशाख 4, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. 5129/डी. 50/21—अ/प्रारू./छ.ग./23.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 13—04—2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 7 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023.

विषय सूची

खण्ड	विवरण
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2.	परिभाषायें.
3.	भूमि का व्यवस्थापन.
4.	निवास गृहों का हटाया जाना.
5.	कतिपय मामलों में प्रकिया
6.	नियमितीकरण.
7.	नवीनीकरण.
8.	अंतरण पर निर्बंधन.
9.	फ्री–होल्ड अधिकार में परिवर्तन.
10.	अवैध कब्जे से वापसी.
11.	अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन.
12.	अवैध कब्जे का प्रभाव.
13.	नियम बनाने की शक्ति.
14.	निरसन.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 7 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023.

विद्यमान अधिनियम में परिभाषाओं में तथा अतिक्रमण को हटाने एवं व्यवस्थापन, भूमि स्वामी अधिकार और फ्री–होल्ड अधिकार, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन संबंधी प्रावधानों में कतिपय विसंगतियों को दूर करते हुए तथा भू–राजस्व संहिता के अनुक्रम में सामंजस्य लाते हुए, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 अधिनियमित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है जिले का कोई उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) या कोई अन्य, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, जिसे कलेक्टर, आदेश द्वारा, ऐसे क्षेत्रों में, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का

प्रयोग करने के लिए, विशेष रूप से प्राधिकृत करे,

(ख) "भूमिस्वामी अधिकार" का वही अर्थ होगा, जैसा कि संहिता मे उसको लिए समनुदेशित है,

(ग) "संहिता" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क 20 सन् 1959),

(घ) "पात्र व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पात्रता रखता हो, जो आवासहीन हो, जो संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज हो, जिसके कुटुम्ब की वार्षिक आय रू. 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो, जिसके कुटुम्ब में कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या इनके उपकम की शासकीय सेवा में, (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) नहीं हो, और न ही अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा व्यवसायिक सेवा में हो, और न ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, तथा जिसे या जिसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को पूर्व में उसी नगरीय निकाय में कोई शासकीय भूमि आवंटित नहीं की गयी हो;

(ङ.) "फ्री–होल्ड अधिकार" से अभिप्रेत है संहिता में यथा परिभाषित फ्री–होल्ड अधिकार;

(च) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत माता, पिता, पति/पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं रक्त आधारित कोई नातेदार, जो आवासहीन व्यक्ति पर पूर्णतः आश्रित हो, शामिल होंगे;

(छ) "सरकारी पट्टेदार" से अभिप्रेत है संहिता में यथा परिभाषित सरकारी पट्टेदार;

(ञ) "आवासहीन व्यक्ति" से अभिप्रेत है नगरीय निकाय में निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके स्वयं के या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वामित्व मे मकान, उस नगरीय निकाय में, नही हो,

(झ) "पट्टाधृति अधिकार" से अभिप्रेत है संहिता के अधीन सरकारी पट्टेदार के अधिकार,

(ञ) "निवास गृह" से अभिप्रेत है चारदीवारी एवं छतयुक्त संरचना, किन्तु इसके अन्तर्गत सरकार या किसी स्थानीय निकाय या कानूनी प्राधिकरण के स्वामित्व का कोई भवन सम्मिलित नहीं होगा;

(ट) "अधिभोग रखना" से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्र की भूमि, जो राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण का हो, को निवास के प्रयोजनों के लिए अधिभोग में रखा जाना,

(ठ) "अंतरण" से अभिप्रेत है संहिता में यथा परिभाषित अंतरण;

(ड) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है संहिता में यथा परिभाषित नगरीय क्षेत्र।

भूमि का व्यवस्थापन.

3. (1) प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमों के अध्यधीन रहते हुए, आवासहीन पात्र व्यक्ति के वास्तविक अधिभोग में की भूमि का व्यवस्थापन या उसे अधिभोग में की भूमि के बदले किसी अन्य भूमि पर व्यवस्थापन, जो विहित क्षेत्रफल से अधिक न हो, अधिभोगी के अविवाहित होने पर उस व्यक्ति के पक्ष में और विवाहित होने पर पति–पत्नी के संयुक्त पक्ष में, विहित अवधि के लिए, पट्टाधृति अधिकारों में, कर सकेगा।

(2) उप धारा (1) के अनुसार, पट्टा विलेख एवं भूमि आबंटन रजिस्टर पर अधिभोगी का व्यक्तिगत या संयुक्त फोटोग्राफ चिपकाया जाएगा।

निवास गृहों का हटाया जाना.

4. (1) किसी ऐसे आवासहीन पात्र व्यक्ति को, जिसके अधिभोग मे किसी सार्वजनिक पार्क की भूमि या सड़क के किनारे की भूमि या सड़क व बस्ती के बीच की भूमि है या, लोकहित के कोई अन्य स्थान की भूमि है, को ऐसे स्थान से हटाया जा सकेगा तथा अन्यत्र पट्टाधृति अधिकार दिए जा सकेंगे।

(2) निवास गृहों के प्रयोजन के लिए किसी बस्ती या मकान को, जहाँ धारा 3 के अधीन आवासहीन पात्र व्यक्तियों का व्यवस्थापन किया गया है, लोकहित में अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकेगा, संबंधित व्यक्ति के पट्टाधृति अधिकारों को रद्द किया जा सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति का अन्यत्र व्यवस्थापन किया जा सकेगा।

(3) प्राधिकृत अधिकारी, विहित प्रक्रिया के अनुसार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पहुँच या अन्य लोकहित में किसी बस्ती या मकान को हटाने तथा उसका अन्यत्र व्यवस्थापन करने का प्रस्ताव कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा एवं कलेक्टर इस पर यथोचित निर्णय ले सकेगा।

कतिपय मामलों में प्रक्रिया.

5. कतिपय मामलों में, विकास योजना या अन्य किसी अधिनियमिति के उल्लंघन में, पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने के विषय पर निर्णय, नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार लिया जा सकेगा ।

नियमितीकरण

6. (1) यदि प्राधिकृत अधिकारी यह पाता है कि पट्टाधृति अधिकार प्राप्त व्यक्ति के वास्तविक कब्जे की भूमि, उसके पक्ष मे मूल रूप से की गई व्यवस्थापन (सेटलमेंट) से अधिक है, तो ऐसी आधिक्य भूमि का व्यवस्थापन, संहिता की धारा 248 के प्रावधानों के तहत, अनुज्ञेय भू–उपयोग के अनुसार, उसके पक्ष में किया जा सकेगा या अन्यथा की स्थिति में अतिक्रमण मुक्त किया जा सकेगा।

(2) पट्टाधृति अधिकार में प्राप्त भूमि निवास प्रयोजन में धारित की जायेगी तथा इस हेतु विहित प्रावधानों के अनुसार, प्रयोजन का व्यपवर्तन किया जा सकेगा।

नवीनीकरण.

7. पट्टाधृति अधिकार की अवधि की समाप्ति पर, इसका नवीनीकरण, विहित अवधि के लिए, विहित शर्तों के तहत किया जा सकेगा।

अंतरण पर निर्बंधन.

8. (1) इस अधिनियम के अधीन पट्टाधृति अधिकार में धारित भूमि का आंशिक या पूर्ण रूप से अंतरण, विरासत के सिवाए, वर्जित होगा।

(2) उप–धारा (1) के उल्लंघन में अंतरण करने वाला व्यक्ति और उसका कुटुम्ब, स्वमेव, किसी भी अन्य भूमि पर पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने की पात्रता तदुपरांत खो देगा।

(3) उप–धारा (1) के उल्लंघन में अंतरण किये जाने पर, पट्टाधृति अधिकार, ऐसे अन्तरण की तारीख से स्वतः शून्य हो जाएगा।

(4) उप-धारा (1) के उल्लंघन मे अंतरण किये जाने पर, अंतरिती जो, यदि वह पात्र व्यक्ति नही हो, ऐसी भूमि के सबध मे कोई पट्टाधृति अधिकार प्राप्त नही होंगे एवं बेदखल किया जा सकेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते भी, दस्तावेजों को पंजीयन करने के लिए कोई सक्षम अधिकारी कोई ऐसा दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रहण नहीं करेगा, जिससे उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाना तात्पर्यित हो।

फ्री-होल्ड अधिकार में परिवर्तन.

9. पट्टाधृति अधिकार को, ऐसे अधिकार प्राप्ति के 10 वर्ष की अवधि के पश्चात्, फ्री-होल्ड अधिकार में परिवर्तन संहिता के प्रावधानों के तहत रियायती पट्टों के उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा।

अवैध कब्जे से वापसी.

10. अवैध रूप से बेकब्जा किये गये पट्टाधृति अधिकार प्राप्त व्यक्ति को, सरकारी पट्टेदार के रूप में, संहिता के प्रावधानों के अनुसार कब्जा वापस दिलाया जा सकेगा।

अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन.

11. इस अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन, संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

अवैध कब्जे का प्रभाव.

12. यदि कोई भूमि, किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, जिसे इस अधिनियम के अधीन पट्टाधृति अधिकार दिए गए हैं, किन्तु जो किसी अन्य पात्र व्यक्ति के कब्जे में निवास प्रयोजन में है,

तो उसे विहित नियमो के अधीन पट्टाधृति अधिकार पात्रतानुसार दिया जा सकेगा अथवा संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

13. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

निरसन.

14. (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तारीख से, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क. 15 सन् 1984) एवं उक्त के अधीन बनाये गये नियम, जारी परिपत्र एवं आदेश एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) उप–धारा (1) में निरसित प्रावधानों के अंतर्गत जारी पट्टाधृति अधिकार के पट्टे इस अधिनियम द्वारा प्रशासित होंगे।

अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. 5129/डी. 50/21–अ/प्रारू./छ.ग./23.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 21–04–2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2023)

THE CHHATTISGARH NAGARIYA KSHETRON KE AWASHEEN VYAKTI KO PATTADHRITI ADHIKAR ADHINIYAM, 2023.

INDEX

Sections	Particulars
1.	Short title, extent and commencement.
2.	Definitions.
3.	Settlement of land.
4.	Removal of residential homes.
5.	Process in certain cases.
6.	Regularisation.
7.	Renewal.
8.	Terms over Transfer.
9.	Conversion in Free-hold Right.
10.	Restoration from illegal possession.
11.	Appeal, Revision and Review.
12.	Effect of illegal possession.
13.	Power to make Rules.
14.	Repeal.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2023)

THE CHHATTISGARH NAGARIYA KSHETRON KE AWASHEEN VYAKTI KO PATTADHRITI ADHIKAR ADHINIYAM, 2023.

An Act to enact the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Awasheen Vyakti Ko Pattadhriti Adhikar Adhiniyam, 2023, by removing certain disparities in the provisions relating to definitions and, removal and settlement of encroachment, Bhoomiswami Rights and the Free-hold rights, the appeal, revision and review in the existing Act and bringing synergy in connection with Land Revenue Code.

Be enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Awasheen Vyakti Ko Pattadhriti Adhikar Adhiniyam, 2023.

(2) It shall extend over urban areas of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Authorised Officer"** means any Sub-Divisional Officer (Revenue) of the district or any other Assistant

Collector, Joint Collector or Deputy Collector, to whom Collector specially authorizes, by the order, to exercise the powers of Authorised Officer in such areas, which are prescribed therein;

(b) "**Bhumiswami Right**" means shall have the same meaning as assigned to it in the Code;

(c) "**Code**" means the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(d) "**Eligible person**" means such person, who possesses the eligibility of acquiring the Domicile certificate of Chhattisgarh, who is homeless, who is registered in the electoral roll of related urban body, who has annual income of the family not more than Rs.2,50,000/- (Two Lakh Fifty Thousands Rupees) two and half lakh rupees, who has no family member in Government service, (except that of class IV), of the Central Government, the State Government or their undertakings,

nor in professional service like advocate, engineer, doctor, chartered accountant, nor an elected representative, and who or whose any family member has not been allotted any government land in that urban body;

(e) "**Free-hold Right**" means the Free-hold Right as defined in the Code;

(f) "**Family**" shall include mother, father, husband/wife, son, unmarried daughter and any blood relative, who is completely dependent on the homeless person;

(g) "**Government Lessee**" means the Government lessee as defined in the Code;

(h) "**Homeless person**" means any such person residing in urban body who does not have home, in that urban body, in the ownership of himself /herself or of any member of his/her family;

(i) "**Pattadhriti Right**" means the rights of Government Lessee under the Code;

(j) "**Residential Home**" means walled and roofed structure, but it shall not include any building under the ownership of the State or any local body or statutory authority;

(k) "**To Possess**" means to keep in possession of the land of urban area, which is of the State Government, local body or development authority, for residential purpose;

(l) "**Transfer**" means the transfer as defined in the Code;

(m) "**Urban Area**" means the urban area as defined in the Code.

Settlement of land.

3. (1) Authorised Officer, subject to the rules formed by the State Government, may settle the land, of in actual possession of homeless eligible person or may settle him on any other land, which shall not be

more than prescribed area, in place of the land in possession, in Pattadhriti Right, for prescribed period, in favour of that person in case of unmarried occupant or in joint favour of husband-wife in case of married occupant.

(2) As per the sub-section (1), the personal or joint photographs of the occupant shall be pasted on the lease document and land allocation register.

Removal of residential homes.

4. (1) Any such homeless eligible person, who possess land of any public park or land besides road or land between road and hamlet or land of any other place of public interest, may be ejected from such place and may be given Pattadhriti Right elsewhere.

(2) Any hamlet or house for residential purpose, where homeless eligible persons are settled under the Section 3, may be shifted elsewhere in public interest, the Pattadhriti Right of the concerned

person may be cancelled and such person may be settled elsewhere.

(3) Authorised Officer, as per the prescribed process, shall submit the proposal, to remove any hamlet or building and to settle it elsewhere, for health, security access and other public interest, to Collector and Collector may take appropriate decision on it.

Process in certain cases.

5. In certain cases, the decision on the matter of providing the Pattadhriti Right, in contravention to the developmental plan or any other enactment, may be taken as per the prescribed process in the rules.

Regularisation.

6. (1) If Authorised Officer finds that the land of actual possession of the person having Pattadhriti Right is more than the actual settlement in his/her favour, than such excess land may be settled in his/her favour, as per the permissible land-use, under the provisions of the Section 248 of the Code or may be freed from encroachment otherwise.

(**2**) The land received in Pattadhriti Right shall be held in residential purpose and diversion of the purpose may be done as per the provisions prescribed for it.

7. On expiration of the period of Pattadhriti Right, it may be renewed under the prescribed conditions, for the prescribed period. **Renewal.**

8. (**1**) Partial or complete transfer, except inheritance, of the land held in Pattadhriti Right under this Act shall be Prohibited. **Terms over Transfer.**

(**2**) Person, and his/her family, performing transfer in contravention of the sub-section (1) shall, thereafter automatically, lose the eligibility of receiving Pattadhriti Right over any other land.

(**3**) On transfer in contravention to the sub-section (1), the Pattadhriti Right shall be void automatically from the date of such transfer.

(**4**) On transfer in contravention to the sub-section (1), the transferee, if he/she is not an eligible person,

shall not obtain any Pattadhriti Right in relation to such land and may be ejected.

(5) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), any competent officer for registration of documents, shall not receive any document, from which the contravention of the sub-section (1) is meant, for registration.

Conversion in Free-hold Right.

9. Pattadhriti Right, after the period of 10 years of acquiring such right, may be convertible into Free-hold Right under the clause of concessional lease under the provisions of the Code.

Restoration from illegal possession.

10. The possession to the person holding Pattadhriti Right, who has been illegally dispossessed, may be restored, as Government Lessee, as per the provisions of the Code.

Appeal, Revision and Review.

11. Appeal, Revision and Review against any order under this Act may lie as per the provisions of the Code.

Effect of illegal possession.

12. If any land, which is not in possession of the person holding Pattadhriti Right under this Act, but is under possession of any other eligible person in residential purpose, then he/she may be given, as per the eligibility, Pattadhriti Right under the prescribed rules or action under Section 248 of the Code may be done.

Power to make Rules.

13. (1) The State Government may make rules for implementing all or any provisions of this Act.

(2) Every rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Repeal.

14. (1) From the date of coming into force of this Act, the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984) and the Rules, circulars and orders under that, are hereby repealed.

(2) Lease of Pattadhriti Right given under the provisions repealed in the sub-section (1) shall be administered by this Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.